"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2015— श्रावण 1, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक 7035/डी. 225/21-अ/प्रारू./छ. ग./15 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-08-2012 को राज्यपाल एवं दिनांक 13-07-2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 24 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005

विषय सूची

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. अधिनियम को किसी अन्य विधि में अल्पीकृत न किया जाना
4. विशेष न्यायालय
5. सक्षम प्राधिकारी
6. कारोबार की सूचना
7. निक्षेपों की वापसी में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्तियों की कुर्की. कुर्की के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्तियां
8. असद्भावी अंतरितियों की संपत्ति की कुर्की
9. कुर्की के बदले में प्रतिभूति
10. वित्तीय स्थापना द्वारा व्यतिक्रम के लिए दण्ड
11. जुर्माना लगाने के लिए विचारणीय तथ्य
12. क्षतिपूर्ति हेतु निर्णय
13. अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां
14. विशेष लोक अभियोजक
15. अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की जावेगी
16. अपील
17. नियम बनाने की शक्ति
18. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
19. कठिनाई के निराकरण की शक्ति

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 24 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005

वित्तीय स्थापनाओं में जनता द्वारा किए गए निक्षेपों का संरक्षण करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005" कहलाएगा. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिभाषाएं.

(क) 'मुख्य न्यायाधीश' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश.

(ख) 'राज्य' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.

(ग) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार.

(घ) 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी.

(ङ) 'निक्षेप' से अभिप्रेत है, निक्षेप जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1 (ख ख) में परिभाषित किया गया है.

(च) 'जमाकर्ता' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कंपनी में निक्षेप करता है, और उसमें जमाकर्ता के वारिस, कानूनी उत्तराधिकारी, प्रशासक या समनुदेशिति शामिल होते हैं.

(छ) 'जिला मजिस्ट्रेट' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के अधीन जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो.

(ज) 'वित्तीय स्थापना' से अभिप्रेत है किसी योजना या किसी समझौते के अधीन या किसी अन्य रीति में निक्षेपो को प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ या कोई फर्म या कोई कम्पनी जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन निगमित हो, किन्तु इसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन निगम या कोई सहकारी सोसायटी या बैकिंग कंपनी जैसा कि बैकिंग कंपनी विनियमन अधिनियम 1949(1949 का सं. 10) की धारा 5 में परिभाषित बैकिंग कंपनी में सम्मिलित नहीं है.

(झ) 'कपटपूर्ण व्यतिक्रम' से अभिप्रेत है किसी वित्तीय स्थापना द्वारा परिपक्वता पर किसी प्रतिसंदाय का कपटपूर्ण व्यतिक्रम करना और/या ब्याज के रूप में सुविधा, बोनस लाभ या दिए गए वचन के रूप में देय या निक्षेप पर आश्वस्त की गई सुविधाओं को परिपक्वता पर या कपटपूर्ण तरीके से विफल होती है.

(ञ) विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित न्यायालय.

3. अधिनियम के प्रावधान किसी समय में प्रवृत्त विधि के अतिरिक्त होंगे और जिन्हें किसी विधि में अल्पीकृत नहीं किया जाएगा. अधिनियम को किसी अन्य विधि में अल्पीकृत न किया जाना.

4. (एक) राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्रित अधिसूचना द्वारा इतने विशेष न्यायालय अधिसूचित कर सकेगी जितने की इस अधिनियम के अधीन मामले के विचारण के लिए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हों. विशेष न्यायालय.

(दो) कोई भी व्यक्ति तब तक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) के अधीन सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न रह चुका हो.

सक्षम प्राधिकारी.

5. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी प्राधिकारी को जो जिला मजिस्ट्रेट की पद श्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी.

कारोबार की सूचना.

6. (1) प्रत्येक वित्तीय स्थापना जो सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में पहले से ही अपना व्यवसाय कर रही है, अधिनियम के प्रारंभ होने के दो माह के भीतर अपने कारोबार के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचना देगी.

(2) कोई भी वित्तीय स्थापना सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए, अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं करेगी.

(3) वित्तीय स्थापना, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षकीय प्राधिकारी के अधीन नियत कालिक विवरणियां अनधिक रूप से प्रेषित किए जाने के लिए अपेक्षित है.

(4) सक्षम प्राधिकारी, स्व-विवेक से किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में कारोबार करने वाली किसी भी वित्तीय स्थापना को निर्देश दे सकेगा कि वह स्थापना द्वारा प्राप्त किए गए निक्षेपकों से संबंधित या संसक्त ऐसे विवरण, जानकारी या विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में, ऐसे अंतरालों तथा ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करें जैसा कि साधारण या विशेष आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(5) जो कोई इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा उसे तीन माह तक का कारावास या रूपये पांच हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा. साथ ही वित्तीय स्थापना को भी जुर्माना देना होगा जो कम से कम रूपये पच्चीस हजार होगा और अधिकतम रूपये पचास हजार तक बढ़ाया जा सकेगा.

निक्षेपों की वापसी में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्तियों की कुर्की. कुर्की के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्तियां.

7. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो :-

(एक) निक्षेपकों या अन्य किसी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर, कि किसी वित्तीय स्थापना के कपटपूर्ण तरीके से व्यतिक्रम किया है.

(दो) ऐसी वित्तीय स्थापना द्वारा निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से, सोचे समझे तरीके से कार्य कर रही है और वह वित्तीय स्थापना निक्षेप की गई राशि को वापस नहीं करेगी. सक्षम प्राधिकारी ऐसे वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों के हितो का संरक्षण करने की दृष्टि से, कोई धन या अन्य संपत्ति की, जो या तो वित्तीय स्थापना के नाम से हो या किसी अन्य व्यक्ति या स्थापना के नाम से उपाप्त की गई अभिकथित है, या यदि यह प्रगट होता है कि, ऐसा धन या अन्य संपत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है, या वह निक्षेपों के प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उक्त वित्तीय स्थापना या उक्त वित्तीय स्थापना के संप्रवर्तक, भागीदार निदेशक, प्रबंधक या सदस्य की ऐसी अन्य संपत्ति भी जैसी कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, कुर्की करते हुए अंत:कालीन आदेश पारित कर सकेगा और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवा सकेगा.

(2) सक्षम प्राधिकारी कुर्की के अंत:कालीन आदेश को आत्यंतिक बनाने के लिए विशेष न्यायालय को उसके द्वारा पारित किए गए आदेश से 15 दिन के भीतर आवेदन करेगा.

(3) सक्षम प्राधिकारी किसी विशेष न्यायालय या पदाभिहित न्यायालय को या किसी अन्य न्यायिक फोरम को जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के किसी धन या संपत्ति या आस्तियों अथवा दृष्यमान धन या संपत्तियों या आस्तियों के संबंध में किसी विवाद्यक या विषय का न्यायनिर्णय करने के लिए किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा किसी समरूप अधिनियमित के अधीन स्थापित या गठित या शक्तियों से न्यस्त किया गया है, यथास्थिति उक्त विशेष न्यायालय का पदाभिहित

न्यायालय या न्यायिक फोरम की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के किसी धन या संपत्ति या आस्तियों या दृष्यमान धन या संपत्ति या आस्तियों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित आदेश पारित करने के लिए भी आवेदन कर सकेगा.

(4) धारा 7 की उप धारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय, किसी वित्तीय स्थापना के या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, उससे यह कारण दर्शाने की अपेक्षा करने की सूचना जारी करेगा कि क्यों न कुर्की के आदेश का आत्यंतिक बना दिया जाए और ऐसी सूचना के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आवेदन को भी संलग्न किया जाएगा.

(5) उप धारा (1) के अधीन कुर्क की गई संपत्ति में किसी भी प्रकार का हित या दावा रखने वाला कोई भी व्यक्ति कुर्की आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर, विशेष न्यायालय को आवेदन/आक्षेप प्राप्त होने के बाद, आवेदक और सक्षम प्राधिकारी की सुनवाई का अवसर देने के उपरांत, जैसा उचित समझे, आदेश पारित करेगा.

(6) आवेदन/आक्षेप की सुनवाई के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान लागू होंगे.

(7) यदि विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व कोई कारण नहीं दर्शाया गया है और कोई आक्षेप नहीं किया गया है तो विशेष न्यायालय तुरंत कुर्की के अंतरिम आदेश को आत्यंतिक आदेश बनाते हुए एक आदेश पारित करेगा.

(8) विशेष न्यायालय अंतिम आदेश पारित करते समय कुर्की का आत्यंतिक या अंशत: आदेश दे सकेगा. इस प्रकार का आदेश देते समय विशेष न्यायालय ने कुर्क की गई संपत्ति के उस भाग को जो निक्षेपकों को प्रतिसंदाय हेतु आवश्यक हो, निर्मुक्त नहीं कर सकेगा.

(9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन किए जाने पर विशेष न्यायालय ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जैसे कि कुर्क की गई संपत्ति में से वसूल किए गए राशि का संवितरण निक्षेपकों को किया जावेगा.

(10) जहां किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा समरूप अधिनियमिति के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत या विनिर्दिष्ट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कि राज्य सरकार द्वारा कुर्क किए गए किसी धन या संपत्ति या आस्तियों पर नियंत्रण करने के लिए सशक्त किया गया है, कोई आवेदन किया जाता है, वहां विशेष न्यायालय उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा मानो कि ऐसा आवेदन इस अधिनियम के अधीन किया गया है और ऐसी अधिनियमिति के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे आवेदन पर समुचित आदेश या निर्देश पारित करेगा.

8. (1) जहां धारा 7 में निर्दिष्ट की गई वित्तीय स्थापना या अन्य व्यक्ति की कुर्की के लिए उपलब्ध आस्तियां, उस राशी या मूल्य से, जिसका कि ऐसी वित्तीय स्थापना से निक्षेपकों को प्रतिसंदाय करना अपेक्षित है, कम पाई जाएं और जहां विशेष न्यायालय का शपथ पत्र पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि उक्त वित्तीय स्थापना ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् सद्भाव और प्रतिफल के अन्यथा किसी संपत्ति को अंतरित कर दिया है तो विशेष न्यायालय सूचना द्वारा ऐसी संपत्ति के किसी अंतरिति को चाहे उसने उक्त वित्तीय स्थापना से प्रत्यक्ष रुप से संपत्ति प्राप्त की हो या नहीं, यह कारण बताने का अपेक्षा कर सकेगा कि क्यों न अंतरिति की उतनी संपत्ति जो कि अंतरिती की संपत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य है, को कुर्क कर दिया जाए. असद्भावी अंतरितियों की संपत्ति की कुर्की.

(2) जहां उक्त अंतरिति विनिर्दिष्ट तारीख को उपसंजात नहीं होता है और कारण नहीं बताता है या जहां धारा 7 की उपधारा (5) ये (9) में उपबंधित रीति में अन्वेषण के पश्चात्, विशेष न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि उक्त अंतरिति को संपत्ति का अंतरण सद्भावपूर्ण और प्रतिफल के लिए नहीं था तो विशेष न्यायालय अंतरिति की उतनी संपत्ति की कुर्की का आदेश कर सकेगा जो विशेष न्यायालय की राय में अंतिरित की गई संपत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो.

कुर्की के बदले में प्रतिभूति.

9. विशेष न्यायालय किसी वित्तीय स्थापना की ओर से या धारा (7) की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति की ओर से आवेदन होने पर समुचित मामले में कुर्की के बदले प्रतिभूति देने की लिखित अनुज्ञा पारित कर सकेगा.

वित्तीय स्थापना द्वारा व्यतिक्रम के लिए दण्ड.

10. जहां कोई वित्तीय स्थापना कपटपूर्ण व्यतिक्रम करती है या कोई वित्तीय स्थापना निक्षेपकों को कपटवंचित करने के आशय से सुविचारित रीति से कार्य करती है तो प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें ऐसी वित्तीय स्थापना के प्रबंधन के लिए या कारोबार या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक या कोई अन्य व्यक्ति या कोई कर्मचारी सम्मिलित है, दोष सिद्ध होने पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु इसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा किन्तु इसे पांच लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जाएगा और ऐसी वित्तीय स्थापना ऐसे जुर्माने की भी दायी होगी जो 3 लाख रूपये से कम नहीं होगा किन्तु इसे 10 लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा.

जुर्माना लगाने के लिए विचारणीय तथ्य.

11. न्यायालय जुर्माना लगाए जाने वाली राशि का निर्धारण करते समय निक्षेपकों का भुगतान की जाने वाली राशि को ध्यान में रखेगा.

क्षतिपूर्ति हेतु निर्णय.

12. जब न्यायालय जुर्माना लगाए जाने का निर्णय देगा तो वह ऐसा निर्णय पारित करते समय निक्षेपकों के संपूर्ण या आंशिक दावों के एवज में सम्यक वितरण के रूप में वसूल किए गए संपूर्ण या आंशिक जुर्माने को प्रतिकर के रूप में भुगतान किए जाने का आदेश भी पारित करेगा.

अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां.

13. अपराध का विचारण करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) में वारंट के लिए विचारण हेतु निहित की गई प्रक्रिया लागू होगी और विशेष न्यायालय विचारण के लिए मामले को उसे सुपुर्द किए बिना अपराध का संज्ञान कर सकेगा.

विशेष लोक अभियोजक.

14. राज्य सरकार, विशेष न्यायालय में मामलों के संचालन करने के प्रयोजन के लिए कम से कम 10 वर्ष की अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव रखने वाले व्यक्ति की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति कर सकेगी.

अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की जावेगी.

15. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 438 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत मंजूर नहीं करेगा.

अपील.

16. (1) विशेष न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को की जा सकेगी.

(2) कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षेप दायित्व की रकम के कुल योग के पचहत्तर प्रतिशत के समतुल्य रकम जमा किए जाने का समाधानप्रद सबूत अपील के साथ संलग्न न कर दिया जाए.

नियम बनाने की शक्ति.

17. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित सभी नियम यथा शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

18. इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी या किसी अधिकारी या राज्य सरकार के कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी.

कठिनाई के निराकरण की शक्ति.

19. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों, कोई कार्रवाई कर सकेगी.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्रमांक 7035/डी. 225/21-अ/प्रारू./छ. ग./15 . —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-07-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 24 of 2015)

THE CHHATTISGARH PROTECTION OF DEPOSITORS INTEREST ACT, 2005

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Act not in derogation of any law
4. Special Court.
5. Competent Authority.
6. Intimation of business.
7. Attachment of properties on default of return of deposits. Power of Special Court regarding attachment.
8. Attachment of property of malafide transferees.
9. Security in lieu of attachment.
10. Punishment for defaults by financial establishment.
11. Factors to be considered for imposing fine.
12. Awarding of compensation.
13. Procedure and powers of Special Court regarding offences.
14. Special Public Prosecutor.
15. Anticipatory bail not to be granted.
16. Appeal.
17. Power to make rules.
18. Protection of Action taken in good faith.
19. Power to remove difficulty.

CHHATTISGARH ACT
(No. 24 of 2005)

THE CHHATTISGARH PROTECTION OF DEPOSITORS INTEREST ACT, 2005

An Act to protect the deposits made by the public in the financial establishment and matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Protection of Depositors' Interest Act, 2005.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Chief Justice" means Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh.

(b) "State" means State of Chhattisgarh.

(c) "State Government" means State Government of Chhattisgarh.

(d) "Competent authority" means the authority appointed under Section 5 of the Act;

(e) "Deposit" means "deposit" as defined in Section 45-I (bb) Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934)

(f) "Depositor" means person who makes deposit with company; and includes heir, legal representative, administrator or assignee of the depositor.

(g) "District Magistrate" means person appointed as district magistrate under Section 20 of The Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

(h) "Financial establishment" means an individual, an association of individuals, firm or company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) receiving deposits under any scheme or arrangement or in any other manner but does not include, Corporation or Co-operative Society owned or controlled by the State Government or the Central Government, or Banking Company as defined under Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949).

(i) "Fraudulent default" means any financial establishment, which fraudulently defaults any repayment of deposits on maturity and/or any benefit in the form of interest, bonus, profit or dues in any other form as promised or on maturity or fraudulently fails to render services as assured against the deposit.

(j) "Special Court" means the special court constituted under Section 4 of the Act.

Act not in derogation of any law.

3. The provisions of the Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Special Court.

4. (i) State Government in consultation with the Chief Justice may be notification in the official gazette notify as many special courts as may be necessary for such area or areas for trial of cases under the Act.

(ii) A person shall not be qualified to act as judge in special court unless he is a session's judge or additional session's judge under Code of the Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

Competent authority.

5. The State Government may, by notification, appoint any authority not below the rank of a District Magistrate as competent authority.

Intimation of business.

6. (1) Every financial establishment already carrying on its business in the area of jurisdiction of the competent authority, shall intimate the competent authority about its business within two months from the commencement of the Act.

(2) No financial establishment shall commence its business in the area of jurisdiction of the competent authority without prior intimation.

(3) The financial establishment shall file all such copies of periodical statements to the competent authority, which are required to be filed under the law to supervisory authorities including Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Reserve Bank of India (RBI).

(4) The competent authority at his discretion may at any time direct any financial establishment carrying on business in the area of jurisdiction of the competent authority to furnish in such form, at such intervals ans within such time, such statements, information or particulars relating to or connected with deposits received by the establishment, as may be specified in general or special order.

(5) Who ever contravenes the provisions of this section shall be punished with imprisonment, which may extend to three months or with fine, which may extend to five thousand rupees or with both and financial establishment shall also be liable to pay fine, which shall not be less than twenty five thousand rupees but may extend to fifty thousand rupees.

Attachment of properties on default of return of deposits & power of special court regarding attachment.

7. (1) Where the competent authority is satisfied,

(i) Upon complaints received from depositors or otherwise, that any financial establishment has fraudulently defaulted.

(ii) That any financial establishment is acting in a calculated manner with an intention to defraud the depositors and such financial establishment is not likely to return the deposits, the competent autority may, in order to protect the interests of the depositors of such financial establishment, pass an ad-interim order attaching the money or other property alleged to have been procured either in the name of the financial establishment or in the name of any other person or establishment, or if it appears that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment of the deposits, such other property of the said financial establishment or the promoter, partner, director, manager or member of the said financial establishment, as the competent authority may think fit and publish the order in local newspaper of the area.

(2) The competent authority shall apply within fifteen days from the date of the order to the special court for making the ad-interim order or attachment absolute.

(3) The competent authority may also make an application to any special court or designated court or any other judicial forum established or constituted or entrusted with the powers by any other State Government for adjudicating any issue or subject pertaining to any money or assets of a financial estab lishment under any similar enactment in respect of money or property or assets belonging to or ostensibly belonging to a financial establishment or any person notified under the Act situated within the territorial jurisdiction of that special court or designated court or any other judicial forum as the case may be, for passing appropriate orders to give effect to the provisions of the Act.

(4) Upon receipt of an application under subsection (2) of section (7), the special court shall issue show cause notice accompanied by copy of application filed by the competent authority to the financial establishment or any other person whose property is attached that why the order of attachment should not be made absolute.

(5) Any person having any interest or claim in the property attached under sub-section (1) may apply to the special court within 45 days of the order of attachment for their claim. after receiving the application/objection the special court shall, after giving an opportunity of being heard to the applicants and the competent authority, may make such order as deem fit.

(6) For hearing of application/objection provision of the Code of Civil Procedure, 1908, shall be applicable.

(7) If no cause is shown and no objections are made on or before the specified date, the special court shall forwith pass an order making the ad-interim order of attachment absolute.

(8) The special court may at the time of passing the final order pass an order of attachment absolute or in part. In making such order the special court shall not release such part of property so attached as is necessary for repayment to depositors.

(9) The special court may, on application by the competent authority, pass such order or issue such direction as may necessary for sale of property attached and for distribution among the depositors of the money realised from such sale.

(10) Where an application is made by any person duly authorised or specified by any other State Government under similar enactment empowering him to exercise control over any money or property or assets attached by that State Government, the special court shall exercise all its powers, as if such an application were made under the Act and pass appropriate order or direction on such application, so as to give effect to the provisions of such enactment.

Attachment of property of malafide transferees.

8. (1) Where the assets available for attachment of a financial establishment or other person referred to in section 7 is insufficient for repayment to depositors and where the special court is satisfied by affidavit or otherwise that there is reasonable cause for believing that the said financial establishment has transferred before or after the commencement of the Act any property otherwise than in good faith not for consideration the special court may, by notice, require any transferee of such property whether or not he has received the property directly from the said financial establishment, to show cause why so much of the transferees property, as is equivalent to the proper value of the property transferred should not be attached.

(2) Where the said transferee fails to appear or show cause on the specified date, or where after investigation in the manner provided in sub-section (5) to (9) of section (7), the special court is satisfied that the transfer of the property to the said transferee was not in good faith and not for consideration, the special court shall order the attachment of so much of the said property of the transferee, as is in the opinion of the special court, equivalent to the proper value of the property transferred.

9. Special court may on application on behalf of a financial establishment or any person referred to in sub-section (1) of section (7) pass an order in writing to permit furnishing of security in lieu of attachment in appropriate case. **Security in lieu of attachment.**

10. Where any financial establishment fraudulently defaults or any financial establishment acts in a calculated manner with an intention to defraud the depositors; every person including the promoter, partner, director, manager or any other person or an employee responsible for the management of or conducting of the business or affairs or of such financial establishment shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but may extend to ten years and with fine which not be less than one lakh rupess but may extend to five lakhs rupees and such financial establishment shall also be liable to fine not less than three lakhs rupees but may extend to ten lakhs rupees . **Punishment for defaults by financial establishment.**

11. The court in fixing the amount of fine shall take into consideration the amount required for repayment to depositors. **Factors to be considered for imposing fine.**

12. When a court imposes a sentence of fine, the court shall, when passing the judgment, order the whole or part of the fine recovered be awarded as compensation to the depositors in lieu of their claim in full or part as an equitable distribution. **Awarding of compensation**

13. For trial of the offence the procedure prescribed for the warrant trial in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No.2 of 1974) shall be applicable and special court may take cognizance of the offence without being committed the case to it. **Procedure and powers of Speeial Court regarding offences.**

14. The State Government shall appoint a special public prosecutor, having not less than ten year practice as an advocate, for conducting cases before the special court. **Special Public Prosecutor.**

15. Notwithstanding anything contained in section 438 of the Code of Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) no application for anticipatory bail shall lie for an offence punishable under the Act. **Anticipatory bail not to be granted.**

16. (1) An appeal against the order passed by the special court shall lie to the High Court within thirty days from the date of order. **Appeal.**

(2) No appeal shall be entertained unless it is accompanied by satisfactory proof of seventy five percent deposit of liability with competent authority.

17. (1) The State Government may make rules for carrying out the provisions of this Act. **Power to make rules.**

(2) Every rule made under this Act, shall as soon as possible be laid on the table of the Legislative Assembly.

18. No suit or other proceedings shall lie against the State Government or the competent authority or an officer or employee of the State Government for anything, which is done in good faith or intended to be done under the Act. **Protection of action taken in good faith.**

19. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the State Government may be order do anything not inconsistent with the provisions of the Act. **power to remove to difficulty.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.